

**उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर**


**// आदेश //**

क्रमांक ..... C/8939 /

जबलपुर, दिनांक 20/12/2024

II-13-57/24

श्रीमती स्मिता वानखेड़े, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 29.02.2024 से 17.04.2024 तक 49 दिन, दिनांक 18.04.2024 से 06.08.2024 तक 111 दिन का लघुकृत अवकाश एवं 07.08.2024 से 24.09.2024 तक 49 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)


पृष्ठांकन क्रमांक ..... C/8940 /

जबलपुर, दिनांक 20/12/2024

II-13-57/24

**प्रतिलिपि :-**

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक No. Admin/Leave/3036 दिनांक 24.10.2024 के संदर्भ में श्रीमती स्मिता वानखेड़े, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र, अनफिट-फिटनेश चिकित्सा प्रमाण पत्र, कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र, एवं चिकित्सा पेपर्स को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)